न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.).

वाद संख्या 18/2019

1. बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम जाति जाट उम्र 60 साल निवासी वार्ड 19 ढ़ाणी भरण्यावाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) – वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) – प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित – श्री फूलाराम जाट वकील वादी

निर्णय

दिनांक –22.10.20

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 3287, 3288, 3289, 3299, 3300, 3306 लगायत 3320, 3355 लगायत 3359 कुल किता 25 कुल रकबा 10.57 है., में हिस्सा 1/21 की खातेदारी शिवशंकर पुत्र हुक्माराम के नाम दर्ज है जबकि खातेदार वादी का वास्तविक नाम बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम ही दर्ज है परन्तु विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति होने के कारण वादी का नाम घर के बोलते नाम शिवशंकर पुत्र हुक्माराम से वादग्रस्त आराजी में दर्ज हो गया। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होने तथा प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम शिवशंकर पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/21 के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/21 घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे।वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जरिये पत्रांक 3036 दिनांक 13.8.19 रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश हुयी। वादी ने वाद के समर्थन में मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया। बहस वकील वादी सुनी गयी।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:23:30 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में शिवशंकर पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/21 सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से शिवशंकर पुत्र हुक्माराम दर्ज कर दिया है। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम दर्ज है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी एवं पत्र क्रमांक भूअ/2019/3036 दिनांक 13.08.2019 कार्यालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि शिवशंकर पुत्र हुक्माराम व बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं एवं शिवशंकर पुत्र हुक्माराम के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम करने की अभिशंषा की है। वाद पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत दिवराला से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, साक्ष्य, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वाद वादी बाबत् घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 3287, 3288, 3289, 3299, 3300, 3306 लगायत 3320, 3355 लगायत 3359 कुल किता 25 कुल रकबा 10.57 है. में शिवशंकर पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/21 के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/21 दुरूस्त एवं घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:23:30 IST
Reason: SelfAttested